



## राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,  
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017



दूरभाष नं. 0141-2715538

E-mail: egyanrcse@gmail.com

क्रमांक : रा.मा.शि.प./जय/ई-ज्ञान/2017/8236

दिनांक : 16/11/17

### परिपत्र

**विषय: - राज ई-ज्ञान पोर्टल पर ई कंटेंट निर्माण व वेलिडेशन कार्य हेतु प्रोत्साहन राशि के संबंध में दिशा-निर्देश।**

शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राज ई-ज्ञान पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण ई कंटेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु रामाशिप जयपुर द्वारा ई कंटेंट निर्माण तथा वेलिडेशन करने वाले SME शिक्षको को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि के भुगतान करने का निर्णय किया गया है। प्रोत्साहन राशि का भुगतान निम्न मानदण्डानुसार किया जाएगा :-

| S. No. | Type of Content   | Incentives for creation of content by Teachers (Cost in Rs.) | Incentives for validation of content by SME |
|--------|---|--|---|
| 1.     | Content in Video format explaining topics a chapter created with the help of different software (Video Format)  | 300  | 100   |
| 2.     | Multimedia content using specialized software (Video with Animations)   | 400  | 200   |
| 3.     | Lab Activities (Video with Animations)  | 400  | 200   |
| 4.     | Assessment/Exercise (HTML/PDF)  | 100  | 50  |
| 5.     | SME (Subject Matter Expert) को कंटेंट आवंटन के एक सप्ताह की समय सीमा में कंटेंट वेलिडेशन कार्य पूरा करने पर ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान देय होगा।  |  |   |
| 6.     | 1 जनवरी 2017 के पश्चात् कंटेंट वेलिडेशन करने वाले SME को उन्ही कंटेंट वेलिडेशन के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिया जाएगा, जिनका वेलिडेशन एक सप्ताह की समय सीमा में किया गया है एवं 20 नवम्बर 2017 को उनके नाम बकाया कंटेंट वेलिडेशन शून्य हो। |  |   |

एस.आई.ई.आर.टी. एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार किसी भी कक्षा व विषय के लिए किसी भी श्रेणी के शिक्षक द्वारा तैयार किया गया गुणवत्तापूर्ण ई कंटेंट प्रमाणिकरण के पश्चात् राज ई-ज्ञान पोर्टल पर अपलोड होने के उपरान्त संबंधित शिक्षक को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। उक्त भुगतान पुनर्भरण ई-ज्ञान पोर्टल में कंटेंट क्रियेशन व वेलिडेशन मद में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाना है।

(आनन्दी)

राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.मा.शि.प./जय/ई-ज्ञान/2017/

दिनांक :

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु**

1. निजी सहायक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
6. संयुक्त निदेशक, DoIT&C योजना भवन, जयपुर।
7. उपनिदेशक (शालादर्पण) को प्रेषित कर लेख है कि शालादर्पण पोर्टल पर प्रकाशित करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

(अतिरिक्त)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com